## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 308–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 04–08–2012 पारित अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 158/10–11 अपील.

1– रामजीत अहिरवार तनय मुलुआ अहिरवार
2– जालम अहिरवार तनय मुलुआ अहिरवार
3– सुकना अहिरवार तनय अमना अहिरवार
तीनों निवासी ग्राम फूलपुर, तह0 पलेरा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूध्द

1– मातादीन अहिरवार तनय रघोले अहिरवार
2– रामस्वरूप अहिरवार तनय रघोले अहिरवार
3– लक्खी अहिरवार तनय कल्लू अहिरवार
4– उद्‌देता अहिरवार तनय कल्लू अहिरवार
5– दम्मू अहिरवार तनय कल्लू अहिरवार
सभी निवासी ग्राम फूलपुर, तह0 पलेरा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

–– अनावेदकगण

श्री के0के0 व्दिवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
सर्वश्री व्ही.के.तारे तथा डी एस चौहान्, अभिभाषक– अनावेदक क0–1 व 2

### आदेश

(आज दिनांक 5.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय

5/8/14

अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ के अपील प्रकरण कमांक 158/10–11 में पारित आदेश दिनांक 04–08–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामजीत तनय मुलूआ अहिरवार व्दारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत ग्राम फूलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय व्दारा 29–3–11 को प्रकरण पंजीबध्द कर प्रारूप 'क' एवं 'ख' पर सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिये। जबाव प्रस्तुत करने के बाद तहसील न्यायालय ने पटवारी को फर्द बटवारा प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 9–5–11 को दिये। पटवारी व्दारा फर्द बटवारा प्रस्तुत करने पर तहसीलदार व्दारा दिनांक 25–5–11 को फर्द बटवारा प्रकाशन के आदेश दिये। फर्द बटवारे में आपत्ति पेश नहीं होने से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–05–11 व्दारा पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक मातादीन एवं रामस्वरूप अहिरवार व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04–08–12 व्दारा अपील इस आधार पर स्वीकार की कि फर्द बटवारा तैयार करते समय अपीलान्टगण/अनावेदकों को सूचना नहीं दी। फर्द बटवारा पर मातादीन एवं रामस्वरूप के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तहसीलदार का बटवारा आदेश निरस्त कर समस्त सहखातेदारों को व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर प्रदान कर भूमि की किस्त एवं कब्जे के अनुसार धारा 178 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य

रूप से यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 49 डी के अनुसार प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश अधिकारिता रहित है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार ने बटवारा आदेश सहमति से पारित किया गया था जिसके विरूध्द अपील प्रचलन योग्य नहीं थी। विचारण तहसील न्यायालय ने उभय पक्ष को सूचना सुनवायी एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया था। अभिलेख में अनावेदक क0–1 व 2 की उपस्थिति अंकित है और उन्होंने प्रकरण की कार्यवाही में भाग लेकर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। अन्त में उनका यह तर्क है कि अपर कलेक्टर ने निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की गयी है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूध्द राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक क0–1 एवं 2 के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि फर्द बटवारा तैयार करते समय अनावेदकगण को कोई सूचना व सुनवायी का मौका नहीं दिया गया। फर्द बटवारे में अनावेदक क0–1 व 2 के हस्ताक्षर नहीं हैं। फर्द बटवारा करते समय सभी हितबध्द पक्षकारों को सूचना दिया जाना अनिवार्य है, किन्तु हल्का पटवारी व्दारा फर्द बटवारा करते समय कोई सूचना नहीं दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने समस्त सहखातेदारों को व्यक्तिशः सुनवायी का अवसर प्रदान कर भूमि की किस्म एवं कब्जे के अनुसार बटवारा किये जाने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने यह भी आपत्ति प्रस्तुत की है कि आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा निगरानी समयावधि बाह्य है और विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 का आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ

प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ राजस्व मण्डल के अभिलेख से विदित होता है कि आवेदकगंण व्दारा राजस्व मण्डल में म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–8–12 के विरूध्द अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 7–8–12 को भूलवश निगरानी प्रस्तुत करने तथा अपर कलेक्टर व्दारा दिनांक 10–1–13 को भू–राजस्व संहिता में संशोधन के अनुसार अधिकारिता नहीं होने से अग्राह्य किये जाने का उल्लेख है। अतः उन्होंने विलम्ब को क्षमा करने का अनुरोध किया है। आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर के न्यायालय के आदेशपत्रिकाओं की भी प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत की गयी है जिससे आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर के समक्ष 7–8–12 को निगरानी प्रस्तुत करना तथा आदेश दिनांक 10–1–13 व्दारा धारा 50 में किये गये संशोधन अनुसार निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता नहीं होने से निगरानी आवेदन अग्राह्य किया गया है। ऐसी दशा में विलम्ब सदभाविक होने से क्षमा किया जाता है और अनावेदकगण की आपत्ति अमान्य की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किये जाने संबंधी आपत्ति अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा पूर्व में नहीं उठायी गयी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख प्राप्त हो जाने तथा अंतिम तर्क सुने जाने के पश्चात इस तकनीकी आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः यह आपत्ति भी अमान्य की जाती है।

6/ तहसील न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध खाते के बटवारा सूचनापत्र 'क' पर अनावेदक मातादीन एवं रामस्वरूप के हस्ताक्षर हैं। पटवारी व्दारा फर्द बटवारा दिनांक 19–5–11 को किये जाने का सूचनापत्र जारी किया है जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृठ 19 पर है जिस पर अनावेदक

रामस्वरूप अहिरवार के हस्ताक्षर अन्य सहखातेदारों के साथ है। पटवारी व्दारा दिनांक 19–5–11 को बनाये गये पंचनामें पर भी अनावेदक रामस्वरूप अहिरवार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि पटवारी व्दारा फर्द बटवारा अनावेदकों को सूचना दिये बगैर उनकी मौजदगी में तैयार नहीं किया गया। यह सही है कि फर्द बटवारे पर अनावेदक क0–1 एवं 2 के हस्ताक्षर नहीं है, किन्तु पटवारी व्दारा फर्द बटवारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तहसीलदार व्दारा फर्द बटवारे का प्रकाशन कराया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 24 पर उपलब्ध फर्द प्रकाशन की पुष्ट पर अनावेदक रामस्वरूप के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा आदेश देने के पूर्व अनावेदकों को फर्द बटवारे पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया, किन्तु तहसील न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से तहसीलदार व्दारा पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द बटवारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। मैने अनावेदक मातादीन एवं रामस्वरूप व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील आवेदनपत्र का भी अवलोकन किया। अनावेदकगण ने अपील आवेदन की कण्डिका–2 में स्वयं यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदनपत्र में अपीलान्ट एवं रिस्पोन्डेट्स उपस्थित हुए और पूर्वजों के बटवारे अनुसार जो जिस भूमि पर मौके पर कब्जा किये थे उसी अनुसार बटवारे में सहमति दी है, किन्तु बटवारा सहमति के विपरीत है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदकों को बटवारे में जानकारी थी और उनके व्दारा बटवारा में सहमति भी व्यक्त की गयी थी। अनावेदकगण पूर्वजों के बटवारे अनुसार बटवारा चाहते है जो स्वत्व का प्रश्न है और संहिता की धारा 178 (1) के परन्तुक के अनुसार स्वत्व के प्रश्न के विनिश्चय की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिक त्रुटि की है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि म0प्र0भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 व्दारा

संहिता की धारा 49 (3) में किये गये संशोधन अनुसार अपील प्राधिकारी को मामला अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को निपटारे के लिऐ प्रतिप्रेषित करने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश विधि विपरीत है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता हैं। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 04—08—12 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 31—05—11 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0